14 अप्रैल, 2020 सरकारी आदेश 2020-25

<u>COVID-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश</u>

<u>(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 23)</u>

जबकि, कोरोनावायरस 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ़्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (पहला राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (द फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

जबकि, मैंने कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (सेकंड ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फ़र्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स)); और,

जबकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के मामले विस्फोटक गति से तथा इलिनॉय में अधिकाधिक स्थानों पर बढ़ गए हैं और परिणामस्वरूप मौतों की संख्या बढ़ रही है; और,

जबकि, 20 मार्च, 2020 को मैंने कार्यकारी आदेश 2020-10 जारी किया था, जिसमें मैंने वर्तमान में इलिनॉय राज्य के अंदर रह रहे सभी व्यक्तियों को, कार्यकारी आदेश में यथा अनुमेय को छोड़कर, घर पर ही या उनके निवास स्थान पर ही रुकने का आदेश दिया था; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2020-10 में, मैंने कार्यकारी आदेश में यता परिभाषित आवश्यक व्यापारों एवं संचालनों को छोड़कर, राज्य के सभी व्यापारों और संचालनों को राज्य के अंदर, कार्यकारी आदेश में यथा परिभाषित न्यूनतम आवश्यक संचालनों को छोड़कर, अन्य सभी गतिविधियां रोक देने का आदेश दिया था; और,

जबकि, कार्यकारी आदेशों 2020-10 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जिसे वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया गया है, के लिए पूर्णरूपेण विस्तार दिया जाता है।

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के कारण इलिनॉय के निवासियों पर उल्लेखनीय आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें आय एवं वेतन की हानि शामिल है, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा एवं आवास सुरक्षा व स्थिरता को दुर्बल करने का जोख़िम उत्पन्न करता है; और,

जबकि, मैं कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी के दौरान इलिनॉय निवासियों के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक पाता हूं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों के पास आवश्यक वस्तुओं, जैसे भोजन, दवा, आवास, और परिवहन के लिए धन हो; और,

जबकि, इलिनॉय नागरिक कार्यविधि संहिता (कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर), 735 ILCS 5/12-705 के अनुसरण में, निर्णीत लेनदार (जजमेंट क्रेडिटर) निर्णीत देनदार (जजमेंट डेटर) से संबंधित धन या संपत्ति के लिए अनुऋणी (गारनिशी) पर ऋणानुबंध आह्वान (गारनिशमेंट सम्मन) तामील कर सकता है और, निर्णय या उस पर बकाया शेष 735 ILCS 5/12-707 के अनुसरण में ऋणग्रस्तता पर तथा अनुऋणी (गारनिशी) द्वारा धारित अन्य संपत्ति पर ग्रहणाधिकार बन जाता है; और,

जबकि, इलिनॉय नागरिक कार्यविधि संहिता (कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर), 735 ILCS 5/12-805 के अनुसरण में, निर्णीत लेनदार (जजमेंट क्रेडिटर) निर्णीत देनदार (जजमेंट डेटर) को देय या कुछ ही समय में देय हो जाने वाले वेतन के लिए नियोक्ता पर वेतन कटौती आह्वान (वेज डिडक्शन सम्मन) तामील कर सकता है और, आह्वान (सम्मन) तामील किए जाने पर, निर्णय या उस पर बकाया शेष 735 ILCS 5/12-808 के अनुसरण में वेतन पर ग्रहणाधिकार बन जाता है; और,

जबकि, इलिनॉय नागरिक कार्यविधि संहिता (कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर), 735 ILCS 5/2-1402 के अनुसरण में, निर्णय लेनद‍ार (जजमेंट क्रेडिटर) "जो देनदार निर्णय, कटौती आदेश या ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) के प्रवर्तन से छूट प्राप्त नहीं है उसकी परिसंपत्तियों या आय की खोजबीन करने हेतु निर्णय देनदार (जजमेंट डेटर) या किसी अन्य व्यक्ति की जांच-पड़ताल या से पूछ-ताछ के उद्देश्य से, और खोजबीन में पाई गईं जो परिसंपत्तियां या आय छूट-प्राप्त नहीं हैं उनका अनुप्रयोग निर्णय के अंतर्गत देय राशि के भुगतान के मद में अनिवार्यतः करने के उद्देश्य से, परिसंपत्तियों की खोजबीन के लिए" आधिकारिक बुलावा (साइटेशन) अभियोजित कर सकता है; और,

जबकि, लेनदार द्वारा ऋणानुबंध आह्वान (गारनिशमेंट सम्मन), वेतन कटौती आह्वान (वेज डिडक्शन सम्मन), या परिसंपत्तियों की खोजबीन का आधिकारिक बुलावा (साइटेशन) दायर किए जाने पर, देनदार न्यायालय तक आने और अपनी संपत्ति एवं आय के संबंध में दृढ़तापूर्वक अधिकार जताने हेतु उपस्थित होने के लिए बाध्य होता है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) ऋण वसूली गतिविधि का विरोध करने की देनदार की योग्यता में हस्तक्षेप कर सकती है; और,

जबकि, अनैच्छिक ऋण वसूली के कारण देनदारों को ऋण वसूली गतिविधि से राहत मांगने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें न्यायालय भवनों और वित्तीय संस्थानों तक की यात्रा शामिल है और, परिणामस्वरूप, सामाजिक दूरी को अधिकतम करने एवं कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास दुर्बल होते हैं; और,

जबकि, अनैच्छिक ऋण वसूली आवश्यक वस्तुओं, जिनमें भोजन, दवा, आवास, एवं परिवहन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को प्राप्त एवं परिरक्षित करने की, और सामाजिक दूरी को अधिकतम करके स्वयं को एवं अन्य को कोविड-19 (COVID-19) से सुरक्षित रखने की देनदारों की योग्यता को दुर्बल बनाती है;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं:

अनुभाग 1. इलिनॉय नागरिक कार्यविधि संहिता (कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर) के अनुभाग 5/12-705, 5/12-805, और 5/2-1402, 735 ILCS 5/12-705, 735 ILCS 5/12-805, और 735 ILCS 5/2-1402, जो उपभोक्ता देनदार या उपभोक्ता अनुऋणी (गारनिशी) पर ऋणानुबंध आह्वान (गारनिशमेंट सम्मन), वेतन कटौती आह्वान (वेज डिडक्शन सम्मन), या परिसंपत्तियों की खोजबीन का आधिकारिक बुलावा (साइटेशन) तामील करने की अनुमति देते हैं, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान स्थगित किए जाते हैं।

अनुभाग 2. पूर्वोक्त के बावजूद, इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ घरेलू सहयोग दायित्वों, जिनमें बाल सहयोग एवं पति/पत्नी निर्वाह दायित्व शामिल हैं, पर लागू होने के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

अनुभाग 3. इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी उपबंध का अर्थ देनदार को किसी भी देनदारी से मुक्त करने के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

अनुभाग 4. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (Governor) द्वारा जारी 14 अप्रैल, 2020
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा दायर 14 अप्रैल, 2020